सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 380 राँची ,गुरुवार

30 श्रावण 1936 (श०)

21 अगस्त, 2014 (ई०)

वाणिज्य-कर विभाग

संकल्प

20 अगस्त, 2014

विषयः **वाणिज्य-कर विभाग द्वारा e-governance प्रक्रिया के अधीन चालू आँनलाईन SUGAM G निर्गमन हेतु शर्तें तथा बंधेज निर्धारण के संबंध में।**

संख्या-2842(Anu)--झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा की धारा- 72 (2) एवं धारा- 74 तथा सुसंगत नियमावली, 2006 के नियम **3B** के आलोक में तथा नियम 42 (12) में प्रदत्त शक्ति के आलोक में **SUGAM G** के आँनलाईन निर्गमन हेतु निम्न शर्तें तथा बंधेज विहित की जा रही है, जो निम्नवत् है:-

1. व्यवसायियों का झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के साथ-साथ केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अधीन भी निबंधित होना अनिवार्य है।

2. कर दायित्व की तिथि से देय मासिक कर-विवरणी **JVAT 200** तथा **MRP Dealer** हेतु देय त्रैमासिक कर-विवरणी JVAT 214 तथा तत्संबंधित स्वीकृत कर का भुगतान होना अनिवार्य है।

3. नव निबंधित व्यवसायी जिन्होनें वर्तमान माह में निबंधन लिया है उन्हें **SUGAM G** की सुविधा निर्वाध रूप से तब तक मिल सकती है जबतक SUGAM G के माध्यम से की गयी कुल अन्तर्राज्यीय खरीद राशि पर

लागू वैट दर से संगणन करने पर देय कर की राशि उनके द्वारा निबंधन के समय समर्पित **Security Bond** के बराबर हो जाय।

Security Bond में वर्णित राशि की आधी राशि के उपयोग के उपरांत **System** द्वारा एक **Alert** दिया जाएगा कि वे अविलम्ब अन्तर्राज्यीय क्रय के आलोक में देय कर का भुगतान करें अन्यथा **Security Bond** की कुल राशि की सीमा पार करने के उपरांत उक्त व्यवसायी को ऑनलाईन **SUGAM G** निर्गमन की सुविधा बंद हो जाएगी।

4. वर्तमान वित्तीय वर्ष में निबंधित व्यवसायियों हेतु उक्त ऑनलाईन **SUGAM G** के निर्गमन की प्रक्रिया निर्बाध रूप से तब तक प्राप्त होगी जबतक उनके द्वारा किए गए अन्तर्राज्यीय क्रय राशि पर लागू वैट दर से संगणित करने पर देय कर की राशि उनके पिछले माहों के औसत मासिक कर की ढ़ाई गुणा राशि की सीमा पार न कर जाय।

वर्णित राशि व्यवसायी के औसत मासिक कर के दुगनी हो जाने पर **System** द्वारा **Alert** दिया जाएगा कि वे तत्काल अन्तर्राज्यीय क्रय के आलोक में देय कर का भुगतान करें अन्यथा निर्धारित ढ़ाई गुणा राशि की सीमा पार करने के उपरांत उन्हें ऑनलाईन **SUGAM G** निर्गमन की सुविधा बंद हो जाएगी।

5. एक वर्ष या उससे अधिक समय से नियमित रूप से कर भुगतान करने वाले निबंधित व्यवसायियों को उक्त ऑनलाईन निर्गमन की सुविधा निर्बाध रूप से तब तक प्राप्त होगी जबतक उनके द्वारा किए गए अन्तर्राज्यीय क्रय राशि पर लागू वैट दर से संगणित करने पर देय कर की राशि उनके द्वारा पूर्व की अवधि में देय औसत मासिक कर की राशि की तिगुनी न हो जाय।

वर्णित राशि जैसे ही मासिक औसत कर की राशि की दुगुनी हो जाएगी System द्वारा **SMS** के माध्यम से **Alert** दिया जाएगा कि वे अविलम्ब अन्तर्राज्यीय खरीद के आलोक में देय कर का भुगतान करें अन्यथा निर्धारित तीन गुणी राशि की सीमा पार करने के उपरांत उन्हें ऑनलाईन **SUGAM G** की सुविधा प्राप्त नही होगी।

संकल्प निर्गमन की तिथि से उपरोक्त शर्तें तथा बंधेज प्रभावी होगी।

उल्लेखनीय है कि उपरोक्त शर्तें तथा बंधेजों के लिए संगुणित अन्तर्राज्यीय खरीद में मात्र ऐसे अन्तर्राज्यीय क्रय को सम्मिलित किया गया है जिनका उद्देश्य पुनर्बिक्री दर्शाया गया है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

एम० आर० मीणा,

सचिव-सह-आयुक्त।

अधिसूचना

20 अगस्त, 2014

एस0ओ0 - 11 **दिनांक- 20 अगस्त, 2014**, झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा- 72 (2) के अधीन राज्य में वस्तुओं के परिगमन तथा 74 के अधीन विभागीय प्रक्रियाओं के स्वचालन (**Automation**) के उदेश्य हेतु तथा झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर नियमावली के नियम 3B तथा नियम 42(12) के अधीन प्रदत्त शक्ति के आलोक में ऑनलाईन घोषणा पत्र **SUGAM G (JVAT 504G)** कि निर्गमन हेतु शर्तें तथा बंधेज का निर्धारण निम्नवत् किया जाता है:-

1. व्यवसायियों का झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के साथ-साथ केरन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अधीन भी निबंधित होना अनिवार्य है।

2. कर दायित्व की तिथि से देय मासिक कर-विवरणी **JVAT 200** तथा **MRP Dealer** हेतु देय त्रैमासिक कर-विवरणी **JVAT 214** तथा तत्संबंधित स्वीकृत कर का भुगतान होना अनिवार्य है।

3. नव निबंधित व्यवसायी जिन्होनें वर्तमान माह में निबंधन लिया है उन्हें **SUGAM G** की सुविधा निर्वाध रूप से तब तक मिल सकती है जबतक **SUGAM G** के माध्यम से की गयी कुल अन्तर्राज्यीय खरीद राशि पर लागू वैट दर से संगणन करने पर देय कर की राशि उनके द्वारा निबंधन के समय समर्पित **Security Bond** के बराबर हो जाय।

Security Bond में वर्णित राशि की आधी राशि के उपयोग के उपरांत **System** द्वारा एक **Alert** दिया जाएगा कि वे अविलम्ब अन्तर्राज्यीय क्रय के आलोक में देय कर का भुगतान करें अन्यथा **Security Bond** की कुल राशि की सीमा पार करने के उपरांत उक्त व्यवसायी को ऑनलाईन **SUGAM G** निर्गमन की सुविधा बंद हो जाएगी।

4. वर्तमान वित्तीय वर्ष में निबंधित व्यवसायियों हेतु उक्त ऑनलाईन **SUGAM G** के निर्गमन की प्रक्रिया निर्बाध रूप से तब तक प्राप्त होगी जबतक उनके द्वारा किए गए अन्तर्राज्यीय क्रय राशि पर लागू वैट दर से संगणित करने पर देय कर की राशि उनके पिछले माहों के औसत मासिक कर की ढ़ाई गुणा राशि की सीमा पार न कर जाय।

वर्णित राशि व्यवसायी के औसत मासिक कर के दुगनी हो जाने पर **System** द्वारा **Alert** दिया जाएगा कि वे तत्काल अन्तर्राज्यीय क्रय के आलोक में देय कर का भुगतान करें अन्यथा निर्धारित ढ़ाई गुणा राशि की सीमा पार करने के उपरांत उन्हें ऑनलाईन **SUGAM G** निर्गमन की सुविधा बंद हो जाएगी।

5. एक वर्ष या उससे अधिक समय से नियमित रूप से कर भुगतान करने वाले निबंधित व्यवसायियों को उक्त ऑनलाईन निर्गमन की सुविधा निर्बाध रूप से तब तक प्राप्त होगी जबतक उनके द्वारा किए गए अन्तर्राज्यीय क्रय राशि पर लागू वैट दर से संगणित करने पर देय कर की राशि उनके द्वारा पूर्व की अवधि में देय औसत मासिक कर की राशि की तिगुनी न हो जाय।

वर्णित राशि जैसे ही मासिक औसत कर की राशि की दुगुनी हो जाएगी **System** द्वारा **SMS** के माध्यम से **Alert** दिया जाएगा कि वे अविलम्ब अन्तर्राज्यीय खरीद के आलोक में देय कर का भुगतान करें अन्यथा निर्धारित तीन गुणी राशि की सीमा पार करने के उपरांत उन्हें ऑनलाईन **SUGAM G** की सुविधा प्राप्त नही होगी।

उल्लेखनीय है कि उपरोक्त शर्तें तथा बंधेजों के लिए संगुणित अन्तर्राज्यीय खरीद में मात्र ऐसे अन्तर्राज्यीय क्रय को सम्मिलित किया गया है जिनका उद्देश्य पुनर्बिक्री दर्शाया गया है।

इसके अतिरिक्त समय-समय पर ऑनलाईन कर भुगतान योजना की प्रक्रिया में यथाआवश्यक संशोधन/परिवर्तन करने हेतु मार्गदर्शन निर्गत किया जा सकेगा।

6. उक्त अधिसूचना निर्गमन की तिथि से प्रभावी मानी जाएगी।

(संचिका संख्या-वाकर/कम्प्यू / 09/ 2012/2842)

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

एम॰ आर॰ मीणा,

सचिव-सह-आयुक्त।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 380–50 ।

झारखण्ड सरकार
वाणिज्य–कर विभाग

SUGAM G निर्गमन के Validation से संबंधित सूचना।

सभी निबंधित व्यवसायियों को सूचित किया जाता है कि वाणिज्य–कर विभाग द्वारा SUGAM G के ऑनलाईन निर्गमन हेतु कतिपय शर्त्त एवं बंधेज (Validation & Condition) निर्धारित गए हैं। व्यवसायियों को संबंधित सूचना विभाग द्वारा जनवरी, 2014 में समाचार पत्रों तथा विभागीय वेबसाईट के माध्यम से व्यवसायियों को दी गयी थी ताकि व्यवसायी उक्त शर्तों तथा बंधेजों के को ध्यान में रखते हुए SUGAM G के ऑनलाईन निर्गमन हेतु पूर्व तैयारी कर लें।

दिनांक 21.08.2014 के प्रभाव से निम्न शर्तों तथा बंधेजों के आधार पर ही SUGAM G के ऑनलाईन निर्गमन किया जा सकता है :–

1. व्यवसायियों का झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के साथ–साथ केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अधीन भी निबंधित होना अनिवार्य है।

2. कर दायित्व की तिथि से देय मासिक कर–विवरणी JVAT 200 तथा MRP Dealer हेतु देय त्रैमासिक कर–विवरणी JVAT 214 तथा तत्संबंधित स्वीकृत कर का भुगतान होना अनिवार्य है।

3. नव निबंधित व्यवसायी जिन्होंने वर्तमान माह में निबंधन लिया है उन्हें SUGAM G की सुविधा निर्बाध रूप से तब तक मिल सकती है जबतक SUGAM G के माध्यम से की गयी कुल अन्तर्राज्यीय खरीद राशि पर लागू वैट दर से संगणना करने पर देय कर की राशि उनके द्वारा निबंधन के समय समर्पित Security bond के बराबर हो जाय।

   Security bond में वर्णित राशि की आधी राशि के उपयोग के उपरांत System द्वारा एक Alert दिया जाएगा कि वे अविलम्ब अन्तर्राज्यीय क्रय के आलोक में देय कर का भुगतान करें अन्यथा Security bond की कुल राशि की सीमा पार करने के उपरांत उक्त व्यवसायी को ऑनलाईन SUGAM G निर्गमन की सुविधा बंद हो जाएगी।

4. वर्तमान वित्तीय वर्ष में निबंधित व्यवसायियों हेतु उक्त ऑनलाईन SUGAM G के निर्गमन की प्रक्रिया निर्बाध रूप से तब तक प्राप्त होगी जबतक उनके द्वारा किए गए अन्तर्राज्यीय क्रय राशि पर लागू वैट दर से संगणित करने पर देय कर की राशि उनके पिछले माहों के औसत मासिक कर की ढाई गुणा राशि की सीमा पार न कर जाय।

   वर्णित राशि व्यवसायी के औसत मासिक कर के दुगनी हो जाने पर System द्वारा Alert दिया जाएगा कि वे तत्काल अन्तर्राज्यीय क्रय के आलोक में देय कर का भुगतान करें अन्यथा निर्धारित ढाई गुणा राशि की सीमा पार करने के उपरांत उन्हें ऑनलाईन SUGAM G निर्गमन की सुविधा बंद हो जाएगी।

5. एक वर्ष या उससे अधिक समय से नियमित रूप से कर भुगतान करने वाले निबंधित व्यवसायियों को उक्त ऑनलाईन निर्गमन की सुविधा निर्बाध रूप से तब तक प्राप्त होगी जबतक उनके द्वारा किए गए अन्तर्राज्यीय क्रय राशि पर लागू वैट दर से संगणित करने पर देय कर की राशि उनके द्वारा पूर्व की अवधि में देय औसत मासिक कर की राशि की तिगुनी न हो जाय।

   वर्णित राशि जैसे ही मासिक औसत कर की राशि की दुगुनी हो जाएगी System द्वारा SMS के माध्यम से alert दिया जाएगा कि वे अविलम्ब अन्तर्राज्यीय खरीद के आलोक में देय कर का भुगतान करें अन्यथा निर्धारित तीन गुणी राशि की सीमा पार करने के उपरांत उन्हें ऑनलाईन SUGAM G की सुविधा प्राप्त नही होगी।

उल्लेखनीय है कि उपरोक्त शर्तें तथा बंधेजों के लिए संगुणित अन्तर्राज्यीय खरीद में मात्र ऐसे अन्तर्राज्यीय क्रय को सम्मिलित किया गया है जिनका उद्देश्य पुनर्बिकी दर्शाया गया है।

किसी प्रकार की तकनीकी समस्या की स्थिति में विभागीय **HELP DESK** दूरभाष संख्या–0651–6066005 एवं 0651–2446102 पर कार्यालय अवधि (सुबह 10 से संख्या 6 बजे तक) सम्पर्क किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त संध्या 6 बजे से सुबह 10 बजे तक मोबाईल संख्या–7762837076 एवं 7762837078 पर भी सम्पर्क कर अपनी तकनीकी समस्या का निराकरण कर सकते हैं।

वाणिज्य–कर विभाग,
झारखण्ड, राँची।